पत्रांक–4 / ब.3–50 / 2018 ....729..... /

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(उच्च शिक्षा निदेशालय)

तृतीय तल योजना भवन, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची–834002

संकल्प

विषय :– **राज्य कर्मियों की भाँति विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) के कर्मियों को छठे वेतनमान का अन्य लाभ दिए जाने के संबंध में।**

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों के लिए स्वीकृत पुनरीक्षित केन्द्रीय वेतनमान की भाँति राज्य कर्मियों के लिए वित्त विभागीय संकल्प संख्या 660 / वि०, दिनांक 28.02.2009 द्वारा छठा पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से लागू किया गया है।

2. मानव संसाधन विकास विभाग (उच्च शिक्षा निदेशालय) के संकल्प संख्या 357 दिनांक 13.03.2013 के द्वारा झारखण्ड राज्य के विश्वविद्यालयों / अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) के शिक्षकेत्तर कर्मियों को छठा पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक 01.01.2006 से लागू किया गया है।

3. संकल्प संख्या 357 दिनांक–13.03.2013 की कंडिका–5 में उल्लेखित है कि विश्वविद्यालयों / अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) के शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए वेतन निर्धारण में वही फार्मूला लागू किया जायेगा जैसा कि राज्य सरकार के कर्मियों के वेतन निर्धारण के मामले में लागू है।

4. राज्य सरकार के कर्मियों के लिए वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर छठा वेतनमान का लाभ दिये जाने से संबंधित संकल्प निर्गत किया गया है।

5. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1185 / वि० दिनांक 02.06.2012 के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों की भाँति वैसे राज्य कर्मियों, जिनकी वार्षिक वेतनवृद्धि माह फरवरी से माह जून, 2006 के बीच देय है, को दिनांक 01.01.2006 को अपुनरीक्षित वेतनमान में एक वेतनवृद्धि एकवारीय सुविधा के रूप में स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

6. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660 / वि० दिनांक 28.02.2009 के Schedule-I (Section-I) को संकल्प संख्या 357 दिनांक–13.03.2013 में समावेशित नहीं किया गया है, जिस कारण ग्रेड पे के अनुरुप Entry Pay देय नहीं हो पा रहा है।

कृ०पृ०उ०

7. अतः राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया गया है :–

i. विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) के वैसे शिक्षकेत्तर कर्मियों, जिनकी वार्षिक वेतनवृद्धि माह फरवरी से माह जून, 2006 के बीच देय है, को दिनांक 01.01.2006 को अपुनरीक्षित वेतनमान में एक वेतनवृद्धि एकवारीय सुविधा के रूप में स्वीकृत किया जाय।

ii. विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) में दिनांक 01.01.2006 अथवा इसके बाद नियुक्त शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए Entry Pay अनुमान्य करने के निमित्त वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि० दिनांक 28.02.2009 के Schedule-I (Section-I) को अपनाते हुए संकल्प संख्या 357 दिनांक 13.03.2013 में Schedule-I के रूप में समावेशित किया जाय।

(अनुलग्नक–Schedule-I)

08. प्रस्ताव पर दिनांक 15.03.2023 को आहूत मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या–07 में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखंड राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाय।

झारखण्ड राज्पाल के आदेश से

22.3.23

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– 4/ब.3–50/2018 ....729..../ राँची, दिनांक :– 22/03/2023

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय (सरकारी प्रेस), डोरण्डा, राँची/ई–गजट, नोडल पदाधिकारी, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प की 200 (दो सौ) मुद्रित प्रतियों इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

22.3.23

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– 4/ब.3–50/2018 729 / राँची, दिनांक :– 22/03/2023

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखंड, राँची, कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची, प्रोजेक्ट भवन एवं कोषागार पदाधिकारी, सभी जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22.3.23

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– 4/ब.3–50/2018 729 / राँची, दिनांक :– 22/03/2023

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, झारखंड/विकास आयुक्त, झारखंड/प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, झारखंड/माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, विधि विभाग, झारखंड,/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव, झारखंड, राँची एवं कुलसचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची, डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग, सिदो–कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा, जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर, नीलाम्बर–पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू, बिनोद बिहारी महतो कोयलाचंल विश्वविद्यालय, धनबाद एवं झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, राँची एवं सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22.3.23

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के सचिव।

Schedule – I

Entry pay in the revised pay for recruits appointed on or after 01.01.2006

-1S (4440-7440)

Grade Pay	Pay in the Pay Band	Total
1300	4750	6050
1400	4860	6260
1600	4860	6460
1650	4930	6580

PB-I (5200-20200)

Grade Pay	Pay in the Pay Band	Total
1800	5200	7000
1900	5830	7730
2000	6460	8460
2400	7510	9910
2800	8560	11360

PB-II (9300-34800)

Grade Pay	Pay in the Pay Band	Total
4200	9300	13500
4600	12540	17140
4800	13350	18150
5400	14880	20280

PB-III (15600-39100)

Grade Pay	Pay in the Pay Band	Total
5400	15600	21000
6600	18750	25350
7600	21900	29500

PB-IV (37400-67000)

Grade Pay	Pay in the Pay Band	Total
8700	37400	46100
8900	40200	49100
10000	43000	53000